

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा./संस्था/एफ-1/12102/ शा.शि.ग्रेड-1/सी.भ./2013-16 दिनांक : 27.09.19

संयुक्त निदेशक  
स्कूल शिक्षा, जोधपुर सम्भाग,  
जोधपुर।

बजिन्द्र

विषय:- शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-1 व 11A प्रतियोगी परीक्षा-2013 में  
चयनित श्री रतनलाल मीणा के संबंध में।

प्रसंग :- इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 28.03.2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से  
द्वितीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक भर्ती परीक्षा-2013 के संशोधित परिणाम  
दिनांक 19.10.2016 एवं 16.12.2016 में चयनित अभ्यर्थियों के मण्डल आवंटन किया जाकर  
नियुक्ति हेतु मूल आवेदन पत्र उपलब्ध करवाये गये, के क्रम में आप द्वारा काउंसलिंग के  
माध्यम से पदस्थापन आदेश जारी किया गया। उक्त अभ्यर्थियों में से रतनलाल मीणा वरियता  
क्रमांक 874 द्वारा समय सीमा में कार्यग्रहण नहीं किया गया।

उक्त प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सि.रिया, संख्या-  
11314/2018 रतन लाल मीणा बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2019  
एवं प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में अवमाननावाद संख्या-834/2019  
रतनलाल मीणा बनाम राज्य सरकार व अन्य प्रस्तुत किये जाने तथा वरिष्ठ संयुक्त विधि  
परामर्शी, माध्यमिक शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, जयपुर के पत्रांक प. 17(132)माध्य/  
शिक्षा-2/वि0प्र0/2019 जयपुर दिनांक 02.07.2019 (छाया प्रति संलग्न) में आगे अपील  
दायर नहीं करने के निर्णय लिए जाने के क्रम में अभ्यर्थी रतन लाल मीणा मेरिट संख्या-874  
को कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।  
संलग्न:- उपर्युक्तानुसार।




(नथमल डिलेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग राजस्थान-जयपुर को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3. सिस्टम एनॉलिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।
4. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा
5. जिला शिक्षा अधिकारी-मा.विधि-जोधपुर।

  
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर